

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

..... नाम
..... मुकदमा नं. 8/20 सं. 36/19

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
27.2.20	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के स्वादू ग्राम जी मैले में वास्ता होने के कारण निर्णय नहीं निश्चयाया जा सका। वास्ते निर्णय उद्दिष्ट पत्रावली दिनांक 12.3.20 को पेश हो।
12.03.2020	दिनांक 03.02.20 को इकजाई पेशी दिये जाने पर पत्रावली वास्ते आदेश/निर्णय हेतु आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादी एकपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौरान बहस वकील वादी ने प्रकरण में प्रतिवादीगण नं. 1 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है एवं साक्ष्य वादी में रकबा के शपथ पत्र पेश हो जाने से प्रकरण का आज ही निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण बाबत दुरुस्ती रिकार्ड से सम्बन्धित है जिसमें ग्राम मण्डूस्या पटवार हल्द्वारा हथौरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 138, 438, 439, 440, 441, 442/1906 कुल किता 6 कुल रकबा 2.0400 है। व ग्राम मोदयाड़ी के कृषि भूमि खसरा नम्बर 819, 820, 824, 825, 827, 835, 836 कुल किता 1/20 हिरसा कुल रकबा 3.6900 हैक्टर के 1/20 हिरसा खातेदारी वादी के नाम दर्ज हैं। उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम शोबका पुत्र मोहन उक्त है।

जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम रामरतन पुत्र मोहरू है। उक्त भूमिया वादी की पैतृक भूमिया है। जिसका सही एवं वास्तविक नाम रामरतन पुत्र मोहरू जाति यादव निवासी मादयाड़ी तहसील श्रीगाधोपुर है। वादी के अन्य समस्त दस्तावेजात भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक आदि में भी वादी का सही एवं वास्तविक नाम रामरतन पुत्र मोहरू सही दर्ज है। लेकिन राजस्व रिकार्ड की जमाबंदियों में वादी का नाम श्योबक्स पुत्र मोहरू गलत अंकित हो गया है। जो कि कतई गलत है। वादी का सही एवं वास्तविक नाम रामरतन पुत्र मोहरू है। वादी को घर पर बचपन में श्योबक्स के नाम से पुकारने के कारण व वादी के पिता व दादा की मृत्यु हो जाने से मृत्यु के विरासत के खाते में परिवार का बोलता नाम श्योबक्स लिख दिया गया। उस समय वादी नाबालिग था। वादी का नाम गलत दर्ज हो जाने से राज्य सरकार से मिलने वाले लाभों से वंचित हो गए। वकील वादी ने वादी का नाम श्योबक्स पुत्र मोहरू के स्थान पर रामरतन यादव पुत्र मोहरू घोषित कर दुरुस्त करवाने का निवेदन अतीत बहस में किया है।

हमने वकील वादी की बहस को ध्यानपूर्वक सुना व पत्रावली पर समीक्षित किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जगाबन्दी सम्बत् 2074 से 2077 -दो, तहसीलदार श्रीगाधोपुर से प्राप्त तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट, वादी रामरतन स्वयं का शपथ पत्र व वादी अधिवक्ताओं रूपसिंह, रामदयाल के शपथपत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड में मोहरूराम, पुत्र महादेव का विरासत के नामान्तरण से वादी का नाम श्योबक्स पुत्र मोहरूराम का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हुआ है। पटवारे हल्का श्रीगाधोपुर ने भी मौका जॉच रिपोर्ट में श्योबक्स पुत्र मोहरूराम एवं रामरतन पुत्र मोहरू को एक ही

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

बनाम श्रीमाधोपुर
 किस्म मुकदमा हावा नं. 88/2019 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	व्यक्ति होना वर्णित किया है। वादी द्वारा साक्ष्य पेश शपथ पत्र व वादी साक्ष्य गवाह में पेश शपथ पत्रों में भी श्योबक्स पुत्र गोहरुराम एवं रामरतन पुत्र मोहरु को एक ही व्यक्ति होना वर्णित किया है वहीं तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 23/भू.अ./2020 दिनांक 07.01.2020 के द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बरान् में वादी का नाम श्योबक्स पुत्र मोहरुराम के स्थान पर रामरतन पुत्र मोहरु दर्ज कराने की रिपोर्ट प्रेषित की है। जिसके आधार पर वादी श्योबक्स पुत्र मोहरुराम के स्थान पर रामरतन पुत्र मोहरु दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। जिसे प्राकृतिक रूप की जाँच से दुरुस्त किया न्यायसंगत उचित प्रतीत होता है। "आदेश" अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम, मण्डूरुथा पटवार हल्का हथौरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 138, 438, 439, 440, 441, 442/1906 कुल किता 6 कुल रकबा 2.0400 हैक्टर व ग्राम भोदयाड़ी के कृषि भूमि खसरा नम्बर 818, 819, 820, 824, 825, 827, 835, 836 कुल किता 8 कुल रकबा 3.6900 हैक्टर के 1/20 हिस्सा की खातेदारी में वादी का नाम श्योबक्स पुत्र मोहरुराम के स्थान पर रामरतन पुत्र मोहरुराम घोषित किया जाता है एवं श्योबक्स पुत्र मोहरुराम का नाम राजस्व रिकार्ड में हटाफ किया

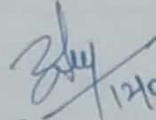
21/11/2019 ५/१२ ४२१६१२

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

8/12/2019

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

जाकर रामरतन पुत्र मोहरुराम अंकित किये जाने की
स्वीकृति दी जाती है । तदनुसार राजस्व रिकार्ड में
दुरुस्ती की जावें। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी
हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील
दाखिल दफ्तर हों।

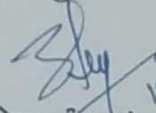
 12/03/2020

(ललित मीना)

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)

श्रीमाधोपुर(सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 12.03.2020
को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

 12/03/2020

(ललित मीना)

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)

श्रीमाधोपुर(सीकर)